पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.03.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० श्री गिरिधारी यादव, स०वि०स०	"बिहार में 20 लाख एकड़ वनभूमि में लगभग 5 प्रतिशत अंश पर परम्परागत वन निवासियों के साथ आदिवासियों ने वर्षों से खेती और वासभूमि के रूप में अपना कब्जा बनाए रखा है । इसी कड़ी में गया जिला के मोहनपुर और बाराचट्टी प्रखंडों के वन निवासियों / आदिवासियों के 531 दावों को जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, वनाधिकार समिति, गया द्वारा दिनांक-06.06.2011 को खारिज कर दिया गया जो कानून के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है । वनाधिकार कानून आदिवासियों और परंपरागत निवासियों दोनों के लिए है और दोनों को अपने आवेदन द्वारा प्रमाण देना है कि वन भूमि का खास प्लॉट 13 दिसंबर, 2005 के पहले से उनके कब्जे और उपयोग में है । गैर आदिवासी परंपरागत निवासियों को यह प्रमाण देना है कि दावे के वनभूमि के पास के इलाके में तीन पीढ़ियों से वे बसे हुए हैं । इन सबों के बावजूद जिलाधिकारी, गया द्वारा बिना अपील करने का अधिकार दिए 531 दावों को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है । अतः जिलाधिकारी, गया द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सरकार द्वारा विधि सम्मत् निर्णय लेने की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पर्यावरण एवं वन

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री कृष्णनन्दन यादव, स०वि०स० श्री अरूण मांझी, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० मो० आफाक आलम, स०वि०स०	"नगर परिषद, जहानाबाद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिना बोर्ड की सहमति एवं बगैर निविदा के गैर जरूरी उपकरण का क्रय कर लिया गया है । सामग्रियों की निर्धारित दर से लगभग तीन-चार सौ प्रतिशत अधिक दर पर क्रय किया गया है । उदाहरण स्वरूप लगभग 4,000/- रूपये का मेटल कन्टेनर 28,000/- रूपये में, लगभग 3,000/- रूपये का ठेला 9,900/- रूपये में, लगभग 2,000/- रूपये का डस्टबीन 17,800/- रूपये में, लगभग 5 लाख रूपये का चलन्त शौचालय 18 लाख 71 हजार रूपये में क्रय किया गया है । इस प्रकार इस अनियमित क्रय प्रक्रिया में एक करोड़ से अधिक राशि की निकासी कर सरकारी राशि की लूट की गयी है । कार्यपालक पदाधिकारी, जहानाबाद मुख्यालय में नहीं रहकर प्रतिदिन पटना से ट्रेन द्वारा 12.30 बजे अप० में कार्यालय पहुँचते हैं जिसकी जाँच उनके मोबाईल संख्या-9771724225 के टावर लोकेशन से की जा सकती है । अतएव नगर परिषद, जहानाबाद में की जा रही सरकारी राशि की लूट की जाँच कराते हुए दोषी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	नगर विकास एवं आवास

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/15- 575 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पर्यावरण एवं वन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/3/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/15- 575 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

26/3/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।